संख्या-69/2015/1287/26-3 -2015-10(5)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 2 जुलाई, 2015

विषयः- अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-118/स0क0/विकास/एकीकृत योजना/61/2015-16 दिनांक 06-05-2015, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद महाराजगंज के विकासखण्ड-परतावल एवं घुघली हेतु अलग-अलग प्रायोजनाओं पर प्रत्येक कार्यों सहित कुल रू0-493.18 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कुल प्रायोजना लागत के सापेक्ष रू0-197.27 लाख की वित्तीय स्वीकृति (रू0 एक करोड सत्तान्नवे लाख सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्रम0सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	महराजगंज	परतावल	तरकुलहा	सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण	96.97	38.79
2	महराजगंज	परतावल	विश्वनाथपुर	सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण	99.26	39.70
3	महराजगंज	परतावल	रूदलापुर भुलई	सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण	99.80	39.92
4	महराजगंज	परतावल	सिरसिया	सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण	98.95	39.58
5	महराजगंज	घुघली	पुरूषोत्तमपुर	सी0सी0रोड एवं नाली निर्माण	98.20	39.28
योग-					493.18	197.27

(रू0-एक करोड सत्तान्नवे लाख सत्ताइस हजार मात्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) कराने के उपरान्त ही निर्माण इकाई की वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी,जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रस्तावित कार्यो का पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात ही अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी। धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

6- प्रभाग द्वारा आगणनों में प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था की सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

7- संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

8- स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजायन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

9- निदेशक समाज कल्याण द्वारा जिलाधिकारी महराजगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के आधार पर कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड-महराजगंज से कार्य कराया जायेगा।

10- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-83के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पंूजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-69/2015/1287 (1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ/महराजगंज।
4. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखण्ड, महराजगंज।
5. जिलाधिकारी, महराजगंज।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी महराजगंज।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, एन0आई0सी0 की एक प्रति।
9. समाज कल्याण,बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
10. गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।